रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-05032022-233951 SG-DL-E-05032022-233951

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135]	दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 4, 2022/फाल्गुन 13, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 495
No. 135]	DELHI, FRIDAY, MARCH 4, 2022/PHALGUNA 13, 1943	[N. C. T. D. No. 495

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राज्य चुनाव आयोग

आदेश

दिल्ली, 4 मार्च, 2022

सं. फा. 4(1)ओएसडी I / विधि / रा.चु.आ. / 2022 / .4053. — जैसािक दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957, दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा संशोधित की धारा 7 में प्रावधान हैं, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के तीनों नगर निगमों जैसे उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली व पूर्वी दिल्ली के चुनावों का अधीक्षण, निदेश एवं नियंत्रण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, के राज्य चुनाव आयुक्त के अधिकार में है।

तथा जैसाकि राजनैतिक दलों (राष्ट्रीय एवं राज्य) द्वारा नामित एवं स्वतंत्र चुनावी प्रत्याशियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के तीनों नगर निगमों उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली एवं पूर्वी दिल्ली के चुनावों हेतु चुनाव चिन्ह चुनने एवं आबंटन करने का प्रावधान करना आवश्यक है।

अब, इसलिए, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957, दिल्ली नगर निगम (संशोधन अधिनियम, 2011) द्वारा संशोधित (इसके आगे 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 7 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिल्ली नगर निगम (पार्षदों के चुनाव) नियमावली, 2012 के नियम 15 के साथ पठित (इसके आगे नियमों के रूप में संदर्भित) तथा इस संबंध में अन्य सभी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस चुनाव आयोग की पूर्व सभी

1529 DG/2022 (1)

अधिसूचनाओं का अतिक्रमण करते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली राज्य क्षेत्र के राज्य चुनाव आयुक्त निम्न आदेश जारी करते हैं:--

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रयुक्ति एवं जारी करनाः—

यह आदेश ''दिल्ली नगर निगमों के चुनावों हेतु चिन्ह (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 2022'' कहे जाएंगे। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के तीनों नगर निगमों उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली एवं पूर्वी दिल्ली क्षेत्रों में विस्तारित होता है तथा अब से आगे होने वाले दिल्ली के उपरोक्त तीनों नगर निगमों के चुनावों के लिए लागू होता है।

यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तत्काल लागू हो जाएगा।

2. परिभाषा एवं अर्थ व्याख्या :-

- (क) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस आदेश में शब्द 'आयोग' का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली का चुनाव आयोग होगा।
- (ख) ''दिल्ली का एक नगर निगम'' का अर्थ होगा दिल्ली के तीनों नगर निगमों उत्तरी दल्ली, दक्षिणी दिल्ली एवं पूर्वी दिल्ली में कोई भी एक।
- (ग) 'वार्ड' का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किसी एक नगर निगम का वार्ड है।
- (घ) 'राष्ट्रीय दल' का अर्थ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29—ए के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसा दल जिसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में लोक सभा तथा विधान सभा के चुनावों हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आरक्षित चुनाव चिन्ह आबंटित किया गया है।
- (ड़) 'दिल्ली राज्य दल' का अर्थ है वह राज्य दल जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त है।
- (च) दूसरे 'राज्य दल' का अर्थ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29—ए के अन्तर्गत राज्य अथवा राज्यों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त वह दल जिसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से लोक सभा तथा विधान सभा के चुनावों हेतु आरक्षित चुनाव चिन्ह आबंटित किया गया है।
- (छ) 'अधिनियम' का अर्थ दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 जो दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा संशोधित किया गया है।
- (ज) 'नियमों' का अर्थ ''दिल्ली नगर निगम (पार्षदों के चुनाव) नियम, 2012'' है।

3. राष्ट्रीय एवं राज्य दलों को मान्यता:--

- (क) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29-ए के अन्तर्गत तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से लोक सभा तथा विधान सभा के चुनावों हेतु जो राष्ट्रीय दलों को मान्यता प्रदान की गई है तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव चिन्ह आदेश संख्या 56/2016/पीपीएस-III, दिनांक 13.12.2016 द्वारा समय समय पर यथा संशोधित किया गया है, के अनुसार आयोग एतद्द्वारा इसके पश्चात् होने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के तीनों नगर निगमों के चुनावों हेतु उक्त नियम के नियम 15 के प्रावधानों के अंतर्गत उसी रूप में उन्हें मान्यता प्रदान करता है।
- (ख) इस आयोग ने भी राष्ट्रीय दलों के लिए उन्हीं चुनाव चिन्हों को अपनाया है, जिन्हें भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दलों के लिए आरक्षित किया है और न कि किसी अन्य चिन्ह को।
- (ग) लोक सभा व विधान सभा के चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दलों व अन्य प्रत्याशियों (स्वतंत्र) सिंहत के लिए चिन्हों का जो प्रतिरूप (आकार और रूप) निर्धारित किया है उन्हें यह आयोग भी दिल्ली के उपरोक्त तीनों नगर निगमों के आगामी व उससे आगे होने वाले चुनावों के लिए उसी रूप और आकार में अपनाता है और निर्धारित करता है।(ऐसे राष्ट्रीय दलों के नाम व निर्धारित चिन्हों की सूची का विवरण क्रमशः अनुसूची—I और II में संलग्न सारणी I में दर्शाया गया है)।

- (घ) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी को दिल्ली राज्य दल की मान्यता प्रदान की है तथा ''झाडू'' चुनाव चिन्ह का आबंटन किया है। जिसे इस आयोग द्वारा भी उक्त नियम 15 के अंतर्गत उल्लेखित चुनाव के लिए अपनाया गया है।
- (ङ) अन्य प्रत्याशियों (स्वतंत्र) द्वारा चयन करने के लिए स्वतंत्र चिन्हों की सूची भी उपरोक्त अनुसूची I की सारणी III में दर्शायी गई है। जिसे इस आयोग द्वारा भी उक्त नियम 15 के अंतर्गत उल्लेखित चुनाव के लिए अपनाया गया है।

4. राष्ट्रीय और राज्य दलों के प्रत्याशियों द्वारा चुनाव चिन्ह का चयन और उनका आबंटन :-

- (क) दिल्ली के किसी एक नगर निगम के चुनाव लड़ रहे प्रत्येक प्रत्याशी का नियमावली में दिए गए प्रावधानों तथा उपरोक्त आदेश तथा इस संबंध में आयोग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों के अनुसार चुनाव चिन्ह आबंटित किया जाएगा।
- (ख) राष्ट्रीय दल द्वारा दिल्ली के किसी नगर निगम के वार्ड के चुनाव के लिए नामित किया गया प्रत्याशी उसी चुनाव चिन्ह का चयन करेगा और वही चिन्ह उसे आबंटित किया जाएगा जो उस दल के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आरक्षित है, न कि कोई अन्य चिन्ह।
- (ग) यदि दिल्ली के किसी एक निगम के किसी वार्ड के चुनाव के लिए कोई प्रत्याशी ऐसे राज्य दल द्वारा नामित किया जाता है जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29—A के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है और वह ऐसे चुनाव चिन्ह का इच्छुक है अथवा चयन करना चाहता है जो उस दल के लिए उस राज्य या राज्यों में आरक्षित है जहां वह दल मान्यता प्राप्त राज्य दल है (अनुसूची I में सारणी II देखें) तो अन्य प्रत्याशियों को छोड़कर वह चिन्ह केवल उस प्रत्याशी को निम्न शर्तों को पूरा करने पर आबंटित कर दिया जाएगा।
 - (i) दिल्ली नगर निगमों के चुनावों के लिए ऐसे राज्य दल द्वारा उनके नामित अभ्यर्थी को उसी दल के लिए आरक्षित चुनाव चिन्ह को आबंटन करने के लिए उस दल द्वारा आयोग को चुनाव का आह्वान करने हेतु राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की तिथि के तीन दिल के अन्दर आयोग में आवेदन करना होगा।
 - (ii) उक्त अभ्यर्थी ने अपने नामांकन पत्र में यह घोषणा की है कि वह दिल्ली के एक नगर निगम के वार्ड के चुनाव हेतु उस दल द्वारा खड़ा किया गया है तथा दल ने इस आदेश के पैरा 5 के खंड (ख) (ग) (घ) तथा (ड़) की अपेक्षाओं को भी पूरा कर लिया है।
 - (iii) आयोग की राय में ऐसे आबंटन के आवेदन को अस्वीकार करने के लिए उचित आधार नहीं है।
 - (iv) यदि भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार एक ही समान 'आरक्षित' चिन्ह को एक से अधिक राज्य दलों के प्रत्याशी उसी 'आरक्षित' चिन्ह का चुनाव करते हैं उस स्थिति में लॉटरी द्वारा राज्य दल के उम्मीदवार को आरक्षित चिन्ह आबंटित किया जाएगा तथा किसी अन्य पद्धित द्वारा नहीं। शेष समस्त या कोई भी राज्य दल जिसका उम्मीदवार उपरोक्तानुसार स्पष्ट की गई पद्धित के अनुरूप 'आरक्षित चिन्ह' प्राप्त नहीं करता तो उसे निर्दलीय उम्मीदवारों से ऊपर प्राथमिकता देकर निर्वाचन अधिकारी उसकी पसंद का 'स्वतंत्र चुनाव चिन्ह' आबंटित करेगा।
 - (v) राष्ट्रीय पार्टी तथा दिल्ली राज्य की मान्यता प्राप्त पार्टी के अभ्यार्थियों को नामांकन पत्र में एक प्रस्तावक से फाईल करना होगा तथा उनके लिए चुनाव चिन्ह की पसंद जो उनके नामांकन पत्र में भरी गई है वह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उस दल के लिए किए गए आरक्षण तक ही प्रतिबन्धित होगी।
 - (vi) राज्य दलों (दिल्ली राज्य दल को छोड़ कर) द्वारा नामित अभ्यर्थियों को अपने नामांकन पत्रों में दस (10) प्रस्तावक लेने होंगे और उनकी चुनाव चिन्ह की पसंद जो उनके नामांकन पत्र में दर्शाई गई हो, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उस राज्य या राज्यों में मान्यताप्राप्त उस दल के लिए आरक्षित चुनाव चिन्ह तक सीमित होगी।
 - (घ) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत अमान्य राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों को सभी प्रयोजनों के लिए वांछित प्रस्तावकों की संख्या तथा चुनाव चिन्हों के आबंटन हेत् स्वतंत्र

उम्मीदवार ही समझा जाएगा। चुनाव चिन्हों के आबंटन हेतु ऐसे उम्मीदवारों को अन्य स्वतंत्र उम्मीदवारों के ऊपर कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी अथवा दिल्ली के किसी भी नगर निगम में उपरोक्त दल के सभी प्रत्याशियों को केवल एक ही चुनाव चिन्ह आबंटन हेतु कोई प्राथमिकता प्रदान नहीं की जाएगी।

- (ड़) (i) दिल्ली के किसी नगर निगम के वार्ड के चुनाव हेतु राष्ट्रीय व दिल्ली राज्य दल अथवा अन्य राज्यों के राजनैतिक दल के प्रत्याशियों को छोड़कर अन्य प्रत्याशी उस संदर्भ में बनाए गए इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार इनमें से एक स्वतंत्र चिन्ह को चुनेगा व वह चिन्ह इसी आदेश में दिए प्रावधानों के अनुसार 'स्वतंत्र' चिन्हों में से एक चिन्ह उसे आबंटित कर दिया जाएगा।
 - (ii) प्रत्येक प्रत्याशी को एक पृथक चुनाव चिन्ह, जैसा कि प्राथमिकता के आधार पर उसके नामांकन पत्र में उल्लिखित होगा, जहां तक संभव हो उसी की नामांकन पत्र में दी गई प्राथमिकताओं के आधार पर प्रदान कर दिया जाएगा;
 - (iii) यदि एक से अधिक ऐसे प्रत्याशियों ने उसी चुनाव चिन्ह को प्राथमिकता दी है, तो रिटर्निंग अधिकारी लॉटरी द्वारा निर्णय लेगा कि वह चुनाव चिन्ह किस प्रत्याशी को दिया जाए;
 - (iv) दूसरे प्रत्याशी जो ऊपर (ii) या (iii) में निहित प्रावधानों में नहीं आते उनको बचे हुए स्वतंत्र चुनाव चिन्हों में से जहां तक संभव हो सके, उसकी इच्छानुसार एक चुनाव चिन्ह प्रदान कर दिया जाएगा:

यदि फिर भी कोई प्रत्याशी अपने प्रथम नामांकन पत्र में दी गई चुनाव चिन्हों की तीन प्राथमिकताओं के आधार पर ही चिन्ह लेने का हठ करता है तथा वह इस वार्ड में बचे चिन्हों में से कोई और चिन्ह लेने की कोई इच्छा व्यक्त करने के लिए मना करता है तो रिटर्निंग अधिकारी शेष बचे ''स्वतंत्र चुनाव चिन्हों' में से एक चिन्ह उसे आबंटित कर देगा तथा उसका इस संदर्भ में यह निर्णय अन्तिम निर्णय होगा जब तक कि रिटर्निंग अधिकारी का ये कार्य उपरोक्त निर्देशों के प्रतिकूल न हो।

5. राष्ट्रीय एवं राज्य दलों द्वारा चुनाव चिन्ह आबंटन हेतु अधिकृत करना :—

- (क) इस आदेश के उद्देश्य हेतु एक प्रत्याशी को मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा तभी नामित करना माना जाएगा जबकि उस प्रत्याशी द्वारा भरे गए नामांकन पत्र में इस निमित्त घोषणा कर दी गई है।
- (ख) प्रत्याशी अथवा एवजी प्रत्याशी द्वारा भरे गए नामांकन पत्र में उसने दल के लिए 'आरक्षित' चुनाव चिन्ह का ही चयन किया है और किसी अन्य चुनाव चिन्ह का नहीं।
- (ग) नामांकन भरने की अन्तिम तिथि को सायं 03.00 बजे तक उस वार्ड के रिटर्निंग अधिकारी को जहां से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के चुनाव आयोग को भी संबंधित दल द्वारा फार्म 'बी' में लिखित नोटिस दिया। प्राप्त करवा दिया जाएगा।
- (घ) उपरोक्त नोटिस फार्म 'ए' में प्राधिकृत व्यक्ति, दल के अध्यक्ष अथवा सचिव द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित हो, मोहर या छाप द्वारा किए गए हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं होंगे। इन प्रपत्रों, प्रपत्र 'ए' तथा प्रपत्र 'बी' की फैक्स, फोटो स्टेट, साइक्लोस्टाइल प्रति भी स्वीकार होगी यदि वह राष्ट्रीय/राज्य राजनैतिक दल के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्याही से/बाल पेन से हस्ताक्षित होगी।
- (ड़) ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति का नाम व हस्ताक्षर का नमूना फार्म 'बी' में भरकर नामांकन देने की अन्तिम तिथि को सायं 03.00 बजे तक वार्ड के रिटर्निंग अधिकारी व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रदिल्ली के चुनाव आयोग को सूचित कर दिया गया हो।
- (च) प्रपत्र 'बी' में की गई प्रथम प्राधिकृतता के पश्चात् राष्ट्रीय अथवा राज्य राजनैतिक दल की ऐसी सूचना जिसमें प्रथम प्राधिकृतता को निरस्त अथवा परिवर्तित कर दिया गया हो, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी व राज्य चुनाव आयोग को भेज देनी चाहिए जो कि आयोग / संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन भरने की अन्तिम तिथि को सायं 03.00 बजे तक प्राप्त हो जाए। प्रपत्र 'बी' में ऐसी बाद में की गई प्राधिकृतता, प्राधिकृत कार्यालय—अधिकारी जिसका नाम प्रपत्र 'ए' में पहले भेजा जा चुका है,

द्वारा ही हस्ताक्षर की गई हो, तथा इसमें कोई संशय न हो और यह पूर्णतया स्पष्ट हो, कि या तो वह पूर्व प्राधिकृतता को निरस्त करता है या परिवर्तित करता है जैसा भी मामला हो।

- (छ) यदि उसी राजनैतिक दल से एक ही वार्ड में या दो से अधिक प्रत्याशियों के लिए प्रपत्र 'बी' में सूचना रिटर्निंग अधिकारी व आयोग को प्राप्त होती है तथा वह राजनैतिक दल प्रपत्र 'बी' में यह बताने / दर्शाने में असफल हो जाता है कि इन सूचनाओं में से पूर्व भेजी गई सूचनाओं को निरस्त अथवा अतिक्रमण कर दिया है, तो रिटर्निंग अधिकारी केवल उस प्रत्याशी के प्रपत्र 'बी' को स्वीकार करेगा जिसका नामांकन पत्र उसे पहले प्राप्त हुआ हो तथा शेष प्रत्याशियों, जिनके लिए भी प्रपत्र 'बी' उसे प्राप्त हो गए हों, को ऐसे राजनैतिक दल के प्रस्ताविक प्रत्याशी नहीं माना जाएगा तथा उनके नामांकन पत्र भी अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
- (ज) फार्म 'ए' व 'बी', जैसा उपयुक्त हो इस आदेश की अनुसूची— II में निर्धारित है।
- 6. आयोग की अनुदेश व निर्देश जारी करने की शक्तिया :-

आयोग अनुदेश व निर्देश जारी कर सकता है :-

- (क) इस आदेश के किसी भी प्रावधान के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु।
- (ख) इस प्रकार के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी समस्या व संशय के समाधान हेतु
- (ग) चुनाव चिन्हों के आरक्षण एवं आबंटन हेतु तथा राजनैतिक दलों की मान्यता से संबंधित किसी मामले के संबंध में जिसके लिए इस आदेश में कोई प्रावधान नहीं है अथवा अपर्याप्त प्रावधान है तथा आयोग के मतानुसार सुचारू रूप से चुनाव कराए जाने के लिए प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

संजय कुमार श्रीवास्तव, राज्य चुनाव आयुक्त

अनुसूची—II

प्रपत्र-ए

राष्ट्रीय / राज्य राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशियों के नामों की स्**चना हेतु अधिकृत व्यक्ति द्वारा** दी जाने वाली सूचना

(चुनाव आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली द्वारा आदेश 2022, चुनाव चिन्ह (आरक्षण व आबंटन) अनुच्छेद 5 देखें।) सेवा में,

- चुनाव आयुक्त
 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, निगम भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006
- 2. रिटर्निंग अधिकारी, वार्ड का नं० व नाम......उत्तरी / दक्षिणी / पूर्वी दिल्ली नगर निगम।

विषय : दिल्ली नगर निगम के चुनाव—चुनाव चिन्हों का आबंटन, प्रत्याशियों के नामों की सूचना देने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति।

महोदय.

दिल्ली नगर निगम (पार्षदों के चुनाव) नियमावली, 2012 के नियम 15 के अनुसार मैं एतद् द्वारा सूचित करता हूँ कि उपरोक्त चुनाव हेतु चुनाव में खड़े किए गए प्रस्तावित प्रत्याशियों की सूचना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों का राष्ट्रीय/प्रादेशिक राजनैतिक दल द्वारा अधिकृत किया गया है कि वे दल द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशियों के नाम उपरोक्त चुनावों के लिए भजे सकें।

सूचना देने हेतू अधिकृत व्यक्ति का नाम	पार्टी के कार्यालय का नाम	निगम वार्ड का नाम व सं. जिसके लिए अधिकृत किया गया

	2. अधिकृत किए गए उपरोक्त व्यक्ति / व्यक्तियों के हस्ताक्षर के नमनूं, नीचे दिए गए है :
	1. श्री के हस्ताक्षर के नमूने।
	(i)
	(ii)
	(iii)
	2. श्री के हस्ताक्षर के नमूने।
	(i)
	(ii)
	(iii)
	3. श्री के हस्ताक्षर के नमूने।
	(i)
	(ii)
	(iii)
स्थान :	
दिनाकं :	
	भवदीय
	अध्यक्ष / सचिव
	दल का नाम (दल की मोहर)
	प्रपत्र– 'बी'
	राजनैतिक दलों द्वारा नामित प्रत्याशियों के नामों के संबंध में नोटिस
	(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के तीनों निगमों के चुनाव, 2022 (चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनाव चिन्ह
	(आरक्षण व आबंटन) अनुच्छेद क्रमाकं 5 को देखें।)
सेवा में,	
	1. राज्य चुनाव आयुक्त
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली,निगम भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली—110006.
	2. रिटर्निगं अधिकारीवार्ड का नoं व नामदिल्ली नगर निगम
विषय :	दिल्ली नगर निगम के चुनाव, 2022 प्रत्याशियों को नामित करना ।
महोदय,	
	दिल्ली नगर निगम (पार्षदों के चुनाव) नियम, 2022 के नियम 15 के अनपालन में, मैं
एत	द् द्वारा दल की ओर से निम्न व्यक्तियों को जो कालम 2 तथा 4 मे
	त हैं, दिल्ली नगर निगम के आगामी चुनाव में इस दल के प्रत्याशी के रूप में नामित करने की सूचना देता । वार्ड से इन प्रत्याशियों को नामित किया जा रहा है, उसकी सूचना इन प्रत्याशियों के नाम के सामने दी गई

वह व्यक्ति जिनको विशिष्टियां नीचे कालम (5) से (7) में दी गई हैं, इस दल का प्रतिस्थापित प्रत्याशी है जो अनुमोदित प्रत्याशी के नामांकनों की स्वीक्षां में नामांकन रद्द होने पर अथवा उसके चुनाव लड़ने से नाम वापिस लेने पर, चुनाव में प्रवेश करेगा यदि प्रतिस्थापित प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी अभी भी है।

वार्ड का नाम व संख्या	-	अनुमोदित प्रत्याशी के पिता / पति का नाम		प्रतिस्थापी, प्रत्याशी का नाम (अनुमोदित प्रत्याशी के नामांकन की समीक्षा जांच के पश्चात् अस्वीकृत होने की सिथिति में)	प्रत्याशी के पिता / पति का	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

		0	
भ	q	द	य

स्थान :	
दिनाकं	

अध्यक्ष / सचिव

दल का नाम (दल की मोहर)

(यह प्रपत्र स्याही / बालपैन से हस्ताक्षरित किया जाए तथा छाप वाले हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं होगें।)

यह प्रपत्र रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालयों में नामांकन भरने की अंतिम तिथि को अपराह्न **3.00 बजे** तक निश्चित रूप से प्रस्तुत कर दिया जाए इस पप्रत्र की फोटोस्टटे प्रति भी स्वीकार्य होगी यदि वह राष्ट्रीय/राज्य राजनैतिक दल के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्याही/बॉल पैन से हस्ताक्षरित होगी।

यदि राष्ट्रीय/राज्य के राजनैतिक दल के मुख्य प्रत्याशी का नामांकन पत्र स्वीकार हो जाएगा तो प्रतिस्थापित प्रत्याशी जिसका उल्लेख प्रपत्र के कॉलम—5, 6 व 7 में दिया गया है, के नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

(दल की मोहर)

सारणी– I

राष्ट्रीय दल

कम सं	राष्ट्रीय दल	आरक्षित प्रतीक	पता
1.	2.	3.	4.
1.	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस	पुष्प और तृण	30—बी, हरीश चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता— 700026, पश्चिम बंगाल।

2.	बहुजन समाज पार्टी	हाथी सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में (असम राज्य को छोड़कर जहाँ इनके अभ्यार्थियों को आयोग द्वारा निर्धारित मुक्त को आयोग द्वारा निर्धारित मुक्त निर्वाचन प्रतीकों की सूची से से कोई एक प्रतीक चुनना पड़ेगा)	4, गुरूद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली—110001.
3.	भारतीय जनता पार्टी	कमल	6—ए, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली—1100002.
4.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	बाल और हाँसिया	अजोय भवन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली—110002
5.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)	हथौडा, हाँसिया और सितारा	ए.के. गोपालन भवन, 27—29, भाई वीर सिंह मार्ग, (गोल मार्किट), नई दिल्ली—110001
6.	इंडियन नेशनल काँग्रेस	हाथ	24, अकबर रोड, नई दिल्ली—110001
7.	नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी	घड़ी	बंगला नं. —1, कैनिंग लेन, (रिव शंकर शुक्ला लेन), फिरोजशाह रोड के पास,नई दिल्ली—110001.
8.	नैशनल पीपल्स पार्टी	किताब	नं. 90ए लाचाउमिरी जिला, पूर्वी खासी हिल्स जिला, शिलांग

सारणी—**II** राज्यीय दल

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्यीय दल का नाम	आरक्षित प्रतीक	पता
1.	2.	3.	4.	5.
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.तेलंगाना राष्ट्र समिति	कार	मकान नं. 8-2-220/110/1/3, रोड नं. 14, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश।
		2.तेलुगु देशम	साइकिल	तेलुगु देशम पार्टी ऑफिस, एन0टी0आर0, भवन, रोड नं0—2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद—500033, (आन्ध्र प्रदेश)।
		3.युवजन श्रमिक रायथु काँग्रेस पार्टी	छत का पंखा	मकान नं.8—2—269 / एस / 98, सागर सोसाईटी रोड नं. 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद—34 आन्ध्र प्रदेश।
2.	अरूणाचल	1.पीपुल्स पार्टी ऑफ	मक्का	के. रिन्गु कॉम्पलेक्स, जी– एक्सटेंशन रोड,

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्यीय दल का नाम	आरक्षित प्रतीक	पता
1.	2.	3.	4.	5.
	प्रदेश	अरूणाचल प्रदेश		नहारलगुन—791110 अरूणाचल प्रदेश।
		2.जनता दल (सैक्युलर)	सिर पर धान ले जाती हुई कृषक महिला।	· 1
		3.जनता दल (यूनायटेड)	तीर	7, जन्तर मंतर रोड, नई दिल्ली—110001.
3.	असम	1.ऑल इण्डिया यूनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट	ताला और चाबी	नं. ३, फ्रेन्डस पथ, हातिगांव, गुवाहाटी—781038 (असम)
		2. असम गण परिषद	हाथी	मुख्य कार्यालयः गोपीनाथ बोरदोलाई रोड गुवाहाटी— 781001(असम)
		3. बोडोलैण्ड पीपल्स फ्रंट	नांगोल	मुख्य कार्यालय कोकराझार, बी.टी. सी. पो. ऑ. कोकराझार, असम पिन—783370
		4. युनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल	ट्रेक्टर चलाता किसान	जे.डी. रोड, वार्ड नं0—4, पो0आ0 कोकराझार जिला कोकराझारए बीटीएडी, आसाम—783370.
4.	बिहार	1. जनता दल (यूनायटेड)	तीर	7, जन्तर मंतर रोड, नई दिल्ली—110001.
		2. लोक जन शक्ति पार्टी	बंगला	12, जनपथ नई दिल्ली—110011.
		3. राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन	13 वी.पी. हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली — 110001.
		4. राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	छत का पंखा	मीजा—ढक्कनपुरा, मोहल्ला—मोहनपुर पुनाईचक, नियर हडताली मोड, बोरिंग कनाल रोड, पटना—1 बिहार।
		5 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिसरट—लेनिननिस्ट) (लिबरेशन)	तीन तारो के साथ झण्डा	यू—90, शक्करपुर, दिल्ली—110090.
5.	छत्तीसगढ़	जनता काँग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)	वर्ग में हल जोतता किसान	श्री बालाजी काम्प्लेक्स, गांधी मैदान के पास,खमतराई,रायपुर, छत्तीसगढ़—492001
6.	गोवा	1. महाराष्ट्रवादी गोमांतक	शेर	फ्लैट नं0.102, ब्लॉक—1, डयुक्ल हेवेन, एस0टी0—इनटेज, पणजी—403001

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्यीय दल का नाम	आरक्षित प्रतीक	पता
1.	2.	3.	4.	5.
		2. गोवा फॅारवार्ड पार्टी	नारियल	शीश महल, दूसरी मंजिल, कार्यालय ४, कोंबा, मडगांव, गोवा—403601
7.	हरियाणा	1. इंडियन नैशनल लोक दल	चश्मा	नं. 80, सैक्टर—9, चंडीगढ़ —160009
		2.जन नायक जनता पार्टी	चाबी	एस0सी0ओ 20 दुसरा तल, जिला व्यापार केन्द्र हुडा मार्केट, सैक्टर 56, गुरूग्राम, हरियाणा—122001
8.	जम्मू व कश्मीर	1. जम्मू एण्ड कश्मीर नेशनल कॉफ्रेंस	हल	1) शेर-ए-कश्मीर भवन रेजीडेंसी रोड, जम्मू,(जम्मू व कश्मीर)। 2)नवाई सुब्ह कॉम्प्लेक्स, जीरो ब्रिज, श्रीनगर,(जम्मू व कश्मीर)।
		 जम्मू एण्ड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी 	साईकिल	17, वी.पी. हाऊस रफी मार्ग नई दिल्ली—110001.
		3. जम्मू एण्ड कश्मीर पीपुल्स डेमोकेटिक पार्टी	स्याही की दवात् और कलम	2—इस्पोरियन लेन, रेसीडेनसी रोड, श्रीनगर।
9.	झाारखण्ड	1. आजसु पार्टी	केला	एच—59, हरमु हाउसिंग कॉलोनी, पी.एस—अरगोड़ा, पो0—हरमु, राँची, झारखण्ड—834002
		2. झारखण्ड मुक्ति मोर्चा	तीर–कमान	बैरियातू रोड, रॉची–834008 (झारखण्ड)।
		3. राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन	13 वी.पी.हाऊस, रफी मार्ग नई दिल्ली—110001.
10.	कर्नाटक	1.जनता दल (सेक्यूलर)	सिर पर धान ले जाती हुई कृषक महिला	
11.	केरल	1.जनता दल (सेक्यूलर)	सिर पर धान ले जाती हुई कृषक महिला	
		2. केरल काँग्रेस (एम)	दो पत्तियाँ	स्टेट कमेटी ऑफिस, फायर स्टेशन के पास, कोट्टायम, (केरल)।
		3. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग	सीढ़ी	कायदे मिल्लत मंजिल, 36 मारियाकयार लेब्बाई स्ट्रीट, चेन्नई–600001, तमिलनाडु

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्यीय दल का नाम	आरक्षित प्रतीक	पता
1.	2.	3.	4.	5.
		4. रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी	फावड़ा एंव बेलचा	37, रिपन स्ट्रीट (मुजफ्फर अहमद सारनी), कोलकाता—700016, पश्चिम बंगाल।
12.	महाराष्ट्र	1. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना	रेलवे इंजन	कृष्ण कुंज, एम., बी.राउत रोड, शिवाजी पार्क, मुंबई—400028, महाराष्ट्र।
		2. शिवसेना	तीर–कमान	शिवसेना भवन, गडिकारी चौक, दादर,मुंबई—400028(महाराष्ट्र)।
13.	मणिपुर	1. नागा पीपुल्स फ्रन्ट	मुर्गा	पोस्ट बॉक्स नं.565, कोहिमा—797001, नागालैण्ड।
		 पीपुल्स डेमोळेटिक एलाइन्स 	मुकुट	रागैलांग, इम्फाल—795001, मणिपुर।
14.	मेघालय	 यूनायटेड डेमोक्रेटिक पार्टी 	ड्रम	मावलाइ नोनगलाम, शिलांग—793002 (मेघालय)
		 हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्वेटिक पार्टी 	शेर	केन्चस ट्रेश, लाबान, शिलांग—739004 मेघालय।
		3. पीपुल्स डेमोकेटिक फुन्ट	मोमबि्तियाँ	मुख्यालय—गुवाहाटी, एच ओ, उदालगिरी, जिला—दांरग बोडोलेण्ड (असम)।
15.	मिजोरम	1. मिजो नेशनल फंट	सितारा	जनरल हेडक्वाटर्स—जरकावत आइजॉल (मिजोरम)।
		2. मिजोरम पिपुल्स कॉफ्रेंस	बिजली का बल्ब	जनरल हेडक्वाटर्स, ट्रेजरी स्कायर, आइजॉल—796001 (मिजोरम)
		 जोरम नेशनलिस्ट पार्टी 	सूर्य (किरण रहित)	जनरल हेडक्वाटर्स, ट्रेजरी स्कायर, आइजाल—796001 (मिजोरम)।
16.	नागालैंड	1. नागा पीपुल्स फ्रंट	मुर्गा	पोस्ट बॉक्स नं. 565, कोहिमा—797001 (नागालैंड)
		 नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी 	ग्लोब	मकान नं 155(1), वार्ड नं.4, चुमुकेदीमा, दीमापुर, नागालैंड—797103
17.	राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली	आम आदमी पार्टी	झाडू	206,राउज एवेन्यू, डी.डी.यू. मार्ग, नई दिल्ली—110002
18.	ओडिशा	बीजू जनता दल	शंख	नवीन निवास, एरोड्रम गेट,

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्यीय दल का नाम	आरक्षित प्रतीक	पता
1.	2.	3.	4.	5.
				भुवनेश्वर—751009 (उडीसा)।
19.	पुदुचेरी	 ऑल इंडिया अन्ना द्रविड मुन्नेत्र कड़गम 	दो पत्तियाँ	275, अब्वाई षणमुगम सलाई, रोयापेट्टह, चेन्नई—600014, (तमिलनाडु)
		2. ऑल इंडिया एन. आर कॉंग्रेस	जग	नं. 51, जे. जे. कॉम्पलेक्स, 100 फीट रोड, ईल्लापिल्लईचावड़ी, नेल्लीथोप पोस्ट, पदुचेरी—605005।
		3. द्रविड मुन्नेत्र कड्गम	उदीयमान सूर्य	'अन्ना अरिवालयम' 268—269, अन्ना सलाई, तेनामपेट,चेन्नई—600018,
		4. पट्टालि मक्कल कॉची	आम	63, नाट्टू मुथू माइकेन स्ट्रीट, वनीया तेयनामपेट, चेन्नई—600018, तमिलनाडु।
20.	पंजाब	1. शिरोमणि अकाली दल	तराजू	बिल्डिंग नं. 6, सैक्टर 28 बी, मध्य मार्ग चंडीगढ़—160028
		2. आम आदमी पार्टी	झाडू	206, राउज एवेन्यू, डी.डी.यू. मार्ग, नई दिल्ली–110002
21	राजस्थान	राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी	बोतल	प्लाट नं. 26—27, के बाहर खसरा 170 / 151, तेजा कॉलोनी निकट शीतला माता मन्दिर, मानासर, जिला नागौर, राजस्थान—341001.
22	सिक्किम	1.सिक्किम डेमोकेटिक फंट	छाता	अपर देवराली, गंगटोक पूर्व सिक्किम।
		2.सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा	टेबल लैंप	कंवो ग्राउंड,पो0ऑ0—टैडोंग, पूर्व सिक्किम, सिक्किम—737102
23.	तमिलनाडु	 ऑल इंडिया अन्ना द्रविड मुन्नेत्र कड़गम 	दो पत्तियाँ	275, आव्वाई षणमुगम सलाई, रोयापेट्टाह,चेन्नई—600014. (तमिलनाडु)।
		2. द्रविड मुन्नेत्र कड्गम	उदीयमान सूर्य	'अन्ना अरिवालयम' 268—269, अन्ना सलाई, तनामपेट, चेन्नई—600018 (तमिलनाडु)।
		3. देसिया मुरपोक्कु द्रविड कड़गम	नगाड़ा	125 / 7, जवाहरलाल नेहरू सलाई (100 फीट रोड) कोयमबेदु, चेन्नई–600107, तमिलनाडु।
24.	तेलंगाना	1. ऑल इंडिया मजलिस–	पतंग	दारूस्सलाम बोर्ड, हैदराबाद

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्यीय दल का नाम	आरक्षित प्रतीक	पता
1.	2.	3.	4.	5.
		ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन		(तेलंगाना)
		2. तेलंगाना राष्ट्र समिति	कार	मकान नं–8–2–220 / 110 / 1 / 3, रोड नं 14, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, तेलंगाना
		3. तेलुगु देशम	साइकिल	तेलुगु देशम पार्टी ऑफिस, एन.टी. आर. भवन, रोड नं 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद— 500033 (आंध्र प्रदेश)
		4. युवाजना श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी	छत का पंखा	मकान नं—8—2—269 / s / 98 रोड नं 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद—34, आंध्र प्रदेश.
25	त्रिपुरा	इंडिजिनस पिपुल्स फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा	दाव	प्रधान कार्यालय— ओल्ड काली बाड़ी रोड, कृष्णानगर, अगरतला—799001 त्रिपुरा।
26	उत्तर प्रदेश	1.राष्ट्रीय लोक दल	हैंड पम्प	12—तुगलक रोड, नई दिल्ली—110001.
		2.समाजवादी पार्टी	साइकिल	18, कोपरनिकस लेन, नई दिल्ली।
27.	पश्चिम बंगाल	1.ऑल इण्डिया फॉरवार्ड ब्लॉक	शेर	नेताजी भवन, T-2235/2, अशोक नगर, फैज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005.
		2.रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी	फावड़ा और बेलचा	37, रिपन स्ट्रीट, (मुजफ्फर अहमद सरनी) कोलकाता—700016, (पश्चिम बंगाल)।

सारणी—III (मुक्त प्रतीकों की सूची)

1.	एअरकंडीरनर
2.	अलमारी
3.	सेब
4.	ऑटो–रिक्शा
	(आंध्र प्रदेश एंव तेलंगाना राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
5.	बेबी वॉकर
6.	गुब्बारा

7.	चूडियाँ
8.	फलों से युक्त टोकरी
	(तमिलनाडु राज्य को छोडकर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
9.	बल्ला
10.	बल्लेबाज
11.	बैटरी टार्च
12.	मोतियों का हार
13.	बेल्ट
14.	बेन्च
15.	साइकिल पम्प
16.	दूरबीन
17.	बिस्कुट
18.	ब्लैक बोर्ड
19.	आदमी व पाल युक्त नौका
20.	बक्सा
21.	डबल रोटी
22.	ब्रेड टोस्टर
23.	ईंटें
24.	ब्रीफकेस
25.	ब्रुश
26.	बाल्टी
27.	केक
28.	कैल्कुलेटर
29.	कैमरा
30.	कैन
31.	शिमला मिर्च
32.	कार्पेट
33.	कैरम बोर्ड
34.	फूलगोभी
35.	सीसीटीवी कैमरा
36.	जंजीर
37.	चक्की
38.	चपाती रोलर

	T 6
39.	चप्पलें
40.	शतंरज बोर्ड
41.	चिमनी
42.	चिमटी
43.	कोट
44.	नारियल फार्म
45.	कलर ट्रे और ब्रुश
46.	कम्प्यूटर
47.	कम्प्यूटर माउस
48.	चारपाई
	(केरल राज्य को छोडकर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
49.	क्रेन
50.	घन
51.	कप और प्लेट
52.	कटिंग प्लायर
53.	हीरा
54.	डीजल पम्प
55.	डिश एंटिना
56.	डोली
57.	द्वार घंटी
58.	दरवाजे का हैंडल
	उत्तर प्रदेश एंव उत्तराखण्ड राज्यों को छोडकर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
59.	ड्रिल मशीन
60.	डम्बल्स
61.	कान की बालियाँ
	(तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल एंव कर्नाटक राज्यों को छोडकर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
62.	बिजली का खंभा
63.	लिफाफा
64.	एक्सटेंशन बोर्ड
65.	बाँसुरी
66.	फुटबॉल
	(अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंव त्रिपुरा राज्यों को छोडकर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)

67	फ्रनमंत्र विद्यारी
67.	फुटबॉल खिलाड़ी
68.	फव्वारा
69.	फाक
70.	फ्राइंग पैन
71.	कीप
72.	गन्ना किसान
73.	गैस सिलेण्डर
74.	गैस का चूल्हा
75.	उपहार
76.	अदरक
77.	काँच का गिलास
78.	ग्रामोफोन
79.	अंगूर
80.	हरी मिर्च
81.	हाथ गाड़ी
82.	हारमोनियम
83.	टोप
	(आंध्र प्रदेश एंव तेलंगाना राज्यों को छोडकर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
84.	हेडफोन
85.	हैलीकॉप्टर
86.	हेलमेट
87.	हाकी और बाल
88.	रेत घड़ी
89.	आइस कीम
	(तमिलनाडु राज्य को छोडकर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
90.	पानी गरम करने की रॉड
91.	प्रेस
	(आंध्र प्रदेश एंव तेलंगाना राज्यों को छोडकर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
92.	कटहल
93.	केतली
	(अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम त्रिपुरा एंव पश्चिम बंगाल राज्यों को छोडकर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
94.	किचन सिंक

95.	मिंडी
96.	लेडी पर्स
	(अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम त्रिपुरा एंव पश्चिम बंगाल राज्यों को छोडकर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
97.	लैपटॉप
98.	कुन्डी
99.	लैटर बाक्स
100.	लाइटर
101.	लूडो
102.	लंच बॉक्स
103.	तुरहा बजाता आदमी
104.	माचिस की डिब्बी
105.	माईक
106.	मिक्सी
107.	नेल कटर
108.	गले की टाई
109.	नूडल्स कटोरा
110.	कड़ाही
111.	पेंट
112.	मूँगफली
113.	नाशपाती (तमिल नाडु व पुडुचेरी को छोडकर)
114.	मटर
115.	पेन ड्राइव
116.	कलम की निब सात किरणों के साथ
117.	पैनस्टैंण्ड
118.	पेन्सिल डिब्बा
119.	पेन्सील शार्पनर
120.	पेन्डुलम
121.	मूसल और खरल
122.	पेट्रोल पम्प
123.	फोन चार्जर
124.	तिकया
125.	अनानास

126.	करनी
127.	खाने से भरी थाली
128.	प्लेट स्टैण्ड
129.	हान्डी
130.	प्रैशर कुकर
131.	पंचिंग मशीन
132.	रेजर
133.	रेफ़्रिजरेटर
134.	अंगुठी
135.	रोड रोलर
136.	रोबोट
137.	रूम कुलर
138.	रूम हीटर
139.	रबड़ की मुहर
140.	सेफ़्टी पिन
141.	आरी (केरल राज्य को छोडकर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
142.	स्कूल का बस्ता
143.	केंची
144.	सिलाई की मशीन
145.	पानी का जहाज
146.	जूता
147.	शटर
148.	सितार
149.	कूदने की रस्सी
150.	स्लेट
151.	साबुनदानी
152.	जुराबें
153.	सोफा
154.	स्पैनर
	(बिहार एवं झारखण्ड राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
155.	स्टैपलर
156.	स्टैथोस्कोप
157.	स्टूल

158.	स्टम्प्स
159.	झुला
160.	रिवच बोर्ड
161.	सिरिन्ज
162.	टी.वी.रिमोट
163.	मेज
164.	चाय छलनी
165.	टेलीफोन
166.	टेलीविजन
167.	टेनिस बल्ला व गेंद
168.	टैन्ट
169.	भाला फेंक
170.	टीलर
171.	टॉफियाँ
172.	चिमटा
	बिहार एंव झारखण्ड राज्यों को छोडकर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
173.	दाँत ब्रुश
174.	टूथपेस्ट
175.	菜
176.	त्रिभुज
177.	ट्रक
	(आंध्र प्रदेश एवम् तेलंगाना राज्यों को छोडकर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
178.	तुरही
179.	ट्यूब लाइट
180.	टाईपमशीन
181.	टायर
182.	वैक्यूम क्लीनर
183.	वायलिन
184.	छड़ी
185.	दीवार खूंटी
186.	बटुआ
187.	अखरोट
188.	तरबूज

189.	पानी का टैंक
190.	कुआँ
191.	हाथ रेहडी
192.	सीटी
193.	खिड़की
194.	सूप
195.	ऊन व सिलाई
196.	नागरिक
197.	कूड़े दान

STATE ELECTION COMMISSION

ORDER

Delhi, the 4th March, 2022

No.F.4(1)/OSDI/Legal/SEC/2022/4053.—WHEREAS the superintendence, direction and control of elections to three Municipal Corporations of Delhi viz. North Delhi, South Delhi and East Delhi are vested in the State Election Commissioner of NCT of Delhi vide Section 7 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 as amended by the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2011;

And whereas it is necessary to provide for the choice and allotment of symbols to the contesting candidates sponsored by political parties (National and State) and to the independent candidates for election to three Municipal Corporations in the National Capital Territory of Delhi viz. North Delhi, South Delhi and East Delhi;

Now, therefore in exercise of the powers conferred under Section 7 of the Delhi Municipal Corporation Act 1957, (hereinafter referred to as the 'ACT') read with Rule 15 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012 (hereinafter referred to as 'Rules') and all other provisions enabling it in this behalf and in supersession of all its earlier Notifications on the subject, the State Election Commissioner of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following order:-

1. Short Title, Application and Commencement:

This order will be called the "Municipal Corporation of Delhi Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 2022". It extends to the whole areas of the three Municipal Corporations of Delhi viz. North Delhi, South Delhi and East Delhi in the NCT of Delhi and applies in relation to elections to the wards of the said three Municipal Corporations of Delhi to be held hereafter.

It shall come into force on the date of its publication in the Gazette of NCT of Delhi.

2. Definitions, Interpretation:

- (a) In this order, unless the context otherwise requires, the words 'the Commission' means the State Election Commission of the National Capital Territory of Delhi.
- (b) "A Municipal Corporation of Delhi" means any of the three Municipal Corporations of Delhi viz. North Delhi, South Delhi and East Delhi;
- (c) The 'ward' means a Ward of a Municipal Corporation of the NCT of Delhi.
- (d) 'National Party' means a party recognized by the Election Commission of India as such under section 29-A of the Representation of the People Act, 1951, to which a reserved symbol has been allotted for election to Lok Sabha/ Assembly Constituency in the NCT of Delhi by Election Commission of India.
- (e) Delhi State Party means a State Party recognized by the Election Commission of India for N.C.T. of Delhi under section 29-A of the Representation of the People Act, 1951 to which a reserved symbol is allotted for election to Lok Sabha/Assembly Constituency from NCT of Delhi.

- (f) Other 'State Party' means a party recognized by the Election Commission of India in a State or States (Other than N.C.T. of Delhi) under section 29-A of the Representation of the People Act, 1951 to which a reserved symbol is allotted for election to Lok Sabha/Assembly Constituency in that State or States.
- (g) 'Act' means The Delhi Municipal Corporation Act, 1957 as amended by the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2011
- (h) 'Rules means Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012;

3. Recognition of National and State parties:

- (a) The National Parties recognized as such for the time being by the Election Commission of India in respect of election to Lok Sabha and State Legislative Assemblies in India, under section 29-A of the Representation of the People Act, 1951 and as per Symbol Orders of Election Commission of India vide Notification No. 56/2016/PPS-III dated the 13.12.2016 and amended time to time thereafter by the Election Commission of India are hereby recognized as such by this Commission for purposes of elections to the above said three Municipal Corporations of the National Capital Territory of Delhi to be held hereafter under the provisions of Rule 15 of the aforesaid Rules.
- (b) The Commission hereby also adopts for the National Parties those very symbols which are reserved for these parties by the Election Commission of India and not any other symbol.
- (c) The facsimiles of the symbols reserved for the National Parties (in size and shape) as prescribed for elections to Lok Sabha and State Assemblies by the Election Commission of India as well as those prescribed for other candidates (independents) in the list of Election Symbols are adopted and prescribed as such by this Commission for purposes of the elections to the three Municipal Corporations of Delhi, to be held hereafter. The names of such National Parties and State Parties and symbols prescribed for them are mentioned in Table-I & Table II of Schedule-I annexed.
- (d) "Aam Aadmi Party" is recognized for N.C.T. of Delhi by the Election Commission of India as 'Delhi State Party' and Symbol allotted to this party is "Broom" which is also adopted by this Commission under rule 15 of the said "Rules" for purpose of aforesaid elections
- (e) A list of 'free symbols' to be chosen by other candidates (independents) etc. as prescribed by Election commission of India is contained in Table-III in the Schedule-I and these are also adopted by this Commission for prupose of aforesaid election under Rule 15 of the said "Rules"

4. Choice of Symbol by candidates of National and State Parties and allotment thereof:

- (a) For every contested election of a Municipal Corporation of Delhi, a symbol shall be allotted to each contesting candidate in accordance with the provisions of the said Rules, this Order and the instructions issued by the Commission from time to time in this regard.
- (b) A candidate set up by a National Party and Delhi State Party at an election to a ward of Municipal Corporation of Delhi shall choose, and shall be allotted, ONLY the symbol reserved for that party by Election Commission of India and no other symbol.
- (c) If a candidate set up by a State Party other than Delhi State Party (N.C.T. of Delhi) to contest election to a ward of a Municipal Corporation of Delhi which party is not recognized in the National Capital Territory of Delhi under Section 29-A of the Representation of People Act 1951 by Election Commission of India, intends to choose or chooses a symbol reserved for it in the State or States in which it is a recognized as 'State Party' (see schedule-I table-II) other than Delhi State Party then such candidate shall be allotted that symbol to the exclusion of any other candidate and no other symbol on fulfillment of each of the following conditions, namely:
 - (i) that an application is made to the Commission by the State Party for exclusive allotment of that symbol to the candidate set up by it at an election to a Municipal Corporation of Delhi not later than the third day after publication in the official gazette of the Notification calling the election to a Municipal Corporation of Delhi;

- (ii) that the said candidate has made a declaration in his nomination paper that he has been set up by that party at the election to a ward of Municipal Corporation of Delhi and that the party has also fulfilled the requirements of clauses (b),(c),(d), & (e) of paragraph 5 of this Order;
- (iii) that, in the opinion of the Commission, there is no reasonable ground for refusing the application for such allotment.
- (iv) In case more than one State Parties having the same 'reserve' symbol as per Election Commission of India's order, choose the 'reserve' symbol it shall be allotted to a candidate of a State Party by draw of lot and in no other manner. All or any other State Party whose candidate does not get the 'reserve' symbol as explained above shall be allotted a 'free symbol' of his choice by the Returning Officer in preference to the independent candidates.
- (v) Candidates sponsored by recognized National Parties & Delhi State Party will have to file nomination paper with one proposer and their choice of symbol to be indicated in the nomination paper(s) shall be restricted to the Symbol reserved for it by the Election Commission of India.
- (vi) Candidates sponsored by such State Parties (other than Delhi State Party) will have to file nomination papers with ten proposers and their choice of symbol to be indicated in the nomination paper(s) shall be restricted to the symbol reserved for it in the State or States in which it is so recognized by the Election Commission of India.
- (d) The candidates belonging to unrecognized parties registered by Election Commission of India shall be treated as independent candidates for all purposes including number of proposers required i.e. 10 proposers of the ward to which the nomination is filed and for allotment of symbols. They shall not be given any preference over other independent candidates in allotment of free symbols or allotment of only one free symbol to all its candidates in any ward of a Municipal Corporation of Delhi.
- (e) (i) Any candidate at an election to a ward of a Municipal Corporation of Delhi other than a candidate set up by a National Party, Delhi State Party or State party (other than "Delhi State Party") i.e. Independent Candidates etc. shall choose and shall be allotted in accordance with the provisions hereafter set out in this paragraph, one of the symbols specified as 'free symbols' as per this Order.
 - (ii) A different symbol to each contesting candidate will be allotted in conformity as far as practicable, with his choice as per three preferences mentioned in his/her nomination paper;
 - (iii) If more contesting candidates than one have indicated their preference for same symbol, the Returning Officer shall decide by lot to which of such candidates the symbol will be allotted.
 - (iv) Other contesting candidates not covered in (ii) or (iii) above, can be allotted a symbol out of list of left out symbols as per their choice as far as practicable.

If a candidate still insists to have a symbol out of his three preferences only, as given by him in his first nomination paper, allotted and he refuses to give his choice for any other symbol left out in that ward, the Returning Officer shall allot him a 'free symbol' out of the remaining symbols and his decision in this context shall be final unless action of the Returning Officer is contrary to the foregoing direction.

5. Authorization by National and State Parties for allotment of Symbols:

- (a) For the purpose of this Order, a candidate shall be deemed to have been set up by a recognized political party if and only if the candidate has made a declaration to that effect in the nomination paper filed by him/her.
- (b) The candidate or substitute candidate has chosen only the 'reserved' symbol of his party in his/her nomination paper filed and no 'other symbol'.
- (c) A notice in Form 'B' of setting up the candidate has been delivered not later than 3.00 P.M. on the last day of filing nomination, in writing, to the Returning Officer of the ward to which the candidate is contesting and State Election Commission of NCT Delhi by the party concerned.
- (d) The above said notice is signed by a person authorized in Form 'A' by the President or the Secretary of the party, in ink. Facsimile signatures shall not be accepted. Similarly fax, Photostat, cyclostyled

copy of such forms i.e. (form A & B) are also acceptable if the same is signed by the authorized person of the National/State Political Party in ink/ball pen.

- (e) The name and specimen signature of such authorized person in Form A are communicated to the Returning Officer concerned and the State Election Commission of the NCT Delhi not later than 3.00 P.M. on the last date fixed for filing nominations.
- (f) Any subsequent authorization by a National or State Party canceling or substituting the earlier authorization in Form 'B' shall be sent to the Returning Officer concerned and the State Election Commission of NCT of Delhi also so as to be received by the Commission and the concerned Returning Officer not later than 3.00 P.M. on the last date for making nomination. Such subsequent authorization in Form 'B' is to be signed by the authorized Office bearer whose name has been duly intimated in Form 'A' and is to be unambiguous and clearly showing that it either cancels or substitutes the earlier authorization, as the case may be.
- (g) If more than one notice in Form 'B' are received from a National or State Party by the Returning Officer/Commission in respect of two or more candidates in a ward from the same political party and that political party fails to indicate in such notices in Form 'B' that one of these notices is cancelled or supersedes all other previous notices, the Returning Officer shall accept the notice in Form 'B' in respect of that candidate whose Nomination Paper was first delivered to him, and the remaining candidates in respect of whom also notices in Form 'B' have been received by him, shall not be treated as candidates set up by such political party and their nomination(s) shall also be rejected
- (h) Form 'A' and 'B', as applicable, are prescribed as in Schedule II with this order.

6. Power of Commission to issue instructions and directions:

The Commission may issue instructions and directions –

- (a) for clarification of any of the provisions of this order.
- (b) for the removal of any difficulty or doubt which may arise in relation to the implementation of any such provisions, and
- (c) in relation to any matter with respect to the reservation and allotment of symbols and recognition of political parties, for which this order makes no provision or makes insufficient provision, and provision is, in the opinion of the Commission, necessary for the smooth and orderly conduct of elections.

SANJAY KUMAR SRIVASTAVA, State Election Commissioner

SCHEDULE - II

FROM 'A'

COMMUNICATION REGARDING PERSONS AUTHORISED TO INTIMATE NAMES OF CANDIDATES SET UP BY THE NATIONAL/STATE POLITICAL PARTY

(See Para 5 of the election Symbols (Reservation & Allotment) Order, 2022 as issued by the State Election Commission of NCT of Delhi)

To

1. The State Election Commissioner,

N.C.T. of Delhi, Nigam Bhawan, Kashmere Gate, Delhi-110006

2. The Returning Officer for the ______Ward of North Delhi/South Delhi/East Delhi Municipal Corporation.

Sub: Election to three Municipal Corporations viz. North Delhi/South Delhi/East Delhi Municipal Corporation-Allotment of Symbols- Authorization of person to intimate names of candidates

Sir,

In pursuance of Rule 15 of Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012 and the Symbol Order made there-under by the State Election Commission of NCT of Delhi. I hereby communicate that the following person(s) has/have been authorized by the party, which is a National Party/State Political Party is

24	Di	ELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY	PART IV]
above.		ne names of the candidates proposed to be	e set up by the party at the election cited
Name notice	of person authorized to send	Name of office held in the party	Name & Number of Municipal Wards in respect of which he has been authorized
		e-mentioned person(s) so authorized are g	
-			
` ′			
-	•		
(ii)			
(iii)			
3. Sp	ecimen signatures of Shri		
(i)			
(ii)			
(iii)			
Place :	:		Yours faithfully
Date :			President/Secretary
			Name of the Party
			Seal of Office:
		FORM 'B'	
	NOTICE AS TO NAM	ES OF CANDIDATES SET UP BY TH	IE POLTICAL PARTY
	(See para 5 of the	Election Symbols (Reservation & Allotr	ment) Order, 2022
	of S	State Election Commission of N.C.T. of D	Pelhi
1.	The State Election Commission	n, N.C.T. of Delhi	
	Nigam Bhawan, Kashmere Ga	te. Delhi-110006	

The Returning Officer for the

To

2.	The Returning Officer for the		
	Ward of	Municipal Corporation of Delh	

Date:_

Sub: Sir,	Election to	Municipal Corpora	tion of Delhi, 20	22 –Setting up of ca	ndidate		
up-to-date) and the notice that the Municipal Corpor	ne Symbol Order following persor ration of Delhi fro	made there- under as named in colun(National/Sta m the Ward noted ag	by the State Ele nn 2 to 4 hav te) Party as its gainst each:- ol. 5 to 7 below i	ction Commission of e been set up by candidates at the	llors) Rules, 2022 (as f NCT of Delhi. I he ensuing General E	ereby give	
No. & name of Ward and the name of Municipal Corporation	Name of the approved candidate	Father's/ Husband's name of approved candidate	postal address of approved candidate	Name of the substitute candidate (who will step in on the approved candidate's nomination being rejected on scrutiny)	Father's/husband's name of substitute candidate	Postal address substitute candidate	O
1	2	3	4	5	6	7	_
Place:			(Nam	e and signature of the	e authorized person of	s faithfully the party) of Office	

This must be delivered to the State Election Commission and Returning Officers concerned by **3.00 p.m** on the last date for nominations: Photostat copy of this form may be accepted only if it is signed by the Authorised Person of the National/State Party in ink/with Ball Pen only.

(This form shall be signed in Ink/Ball pen and no facsimile signature will be accepted.)

In case the nomination paper of the main candidate of a National / State Party is accepted, the nomination paper filed by substitute candidate mentioned in Col. 5, 6, 7 shall be rejected by the Returning Officer.

(Seal of the Party)

TABLE – I NATIONAL PARTIES

Sl.	Name of the Party	Symbol reserved	Address
N.			
1.	2.	3.	4.
1.	All India Trinamool Congress	Flowers & Grass	30-B, Harish Chatterjee Street, Kolkata-700026 (West Bengal)
2.	Bahujan Samaj Party	Elephant [In all States/U.T.s except in the State of Assam, where its candidates will have to choose a symbol from out of the list of free symbols specified by the Commission]	4, Gurudwara Rakabganj Road, New Delhi – 110001
3.	Bharatiya Janata Party	Lotus	6-A, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi – 110002
4.	Communist Party of India	Ears of Corn and Sickle	Ajoy Bhawan, Kotla Marg, New Delhi – 110002
5.	Communist Party of India (Marxist)	Hammer, Sickle and Star	A.K.Gopalan Bhawan, 27-29, Bhai Vir Singh Marg (Gole Market), New Delhi - 110001
6.	Indian National Congress	Hand	24,Akbar Road, New Delhi – 110011
7.	Nationalist Congress Party	Clock	Bungalow No1, Canning Lane (Ravi Shanker Shukla Lane), Near Ferozeshah Road, New Delhi-110001
8.	National People's Party	Book	Plot No.90A, Lachaumiere District, East Khasi Hills District, Shillong- 793001

TABLE – II STATE PARTIES

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Andhra Pradesh	1. Telangana Rashtra Samithi	Car	House No. 8-2-220/110/1/3, Road No.14, Banjara Hills, Hyderabad,

Sl.	Name of the	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
No.	State/Union Territory		reserved	
1.	2.	3.	4.	5.
				Andhra Pradesh-500034
		2. Telugu Desam	Bicycle	Telugu Desam Party Office,
				N.T.R. Bhavan,
				Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad-500033. (Andhra Pradesh)
		3. Yuvajana Sramika Rythu Congress Party	Ceiling Fan	H.No.8-2-269/S/98, Sagar Society, Road No. 2,
				Banjara Hills, Hyderabad- 34, Andhra Pradesh-500034
2.	Arunachal Pradesh	1. People's Party of Arunachal	Maize	K. Ringu Complex, G-Extension Road, Naharlagun-791110 (Arunachal Pradesh)
		2. Janata Dal (Secular)	A Lady Farmer	5, Safdarjung Lane, New Delhi – 110003
			carrying Paddy on her head	
		3. Janata Dal (United)	Arrow	7, Jantar Mantar Road, New Delhi-110001
3.	Assam	All India United Democratic Front	Lock & Key	No.3 Friends Path, Hatigaon, Guwahati-781038 (Assam)
		2. Asom Gana Parishad	Elephant	Gopinath Bordoloi Road, Guwahati- 781001 (Assam)
		3. Bodoland Peoples Front	Nangol	Head Office Kokrajhar, B.T.C., P.OKokrajhar, Distt.Kokrajhar, Assam, Pin-783370
		4. United People's Party, Liberal	Tractor Chalata Kisan	J.D.Road, Ward No.4, P.O Kokrajhar, District – Kokrajhar, BTAD, Assam - 783370
4.	Bihar	1. Janata Dal (United)	Arrow	7, Jantar Mantar Road, New Delhi-110001
		2. Lok Jan Shakti Party	Bungalow	12, Janpath,
				New Delhi – 110 011
		3. Rashtriya Janata Dal	Hurricane Lamp	13, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi -110001
		4. Rashtriya Lok Samta Party	Ceiling Fan	Mouza – Dhkkanpura, Mohalla – Mohanpur Punaichak

Sl.	Name of the	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
110.	Territory			
1.	2.	3.	4.	5.
				(Near Hartali Morh), Boring Kainal Road, Patna, Bihar-800001
		5. Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation).	Flag with Three Stars	U-90, Shakarpur, Delhi- 110092
5.	Chhattisgarh	Janta Congress Chhattisgarh (J)	Farmer Ploughing (within Square)	Shri Balaji Complex, Near Gandhi Maidan, Khamtarai, Raipur, Chhattisgarh- 492001
6.	Goa	Maharashtrawadi Gomantak	Lion	Flat No.102, Block-1, Dukle Heaven, ST-Inez, Panaji – 403001
		2. Goa Forward Party	Coconut	Sheesh Mahal, 2 nd Floor, Office
		j		4, Comba, Margao, Goa - 403601
7.	Haryana	1. Indian National Lok Dal	Spectacles	No.80, Sector – 9, Chandigarh – 160009
		2. Jannayak Janta Party	Key	S.C.O. 20, Second Floor, District Commercial Centre, Huda Market, Sector- 56,
				Gurugram, Haryana- 122001
8.	Jammu & Kashmir	Jammu & Kashmir National Conference	Plough	(i) Sher-e-Kashmir Bhavan, Residency Road, Jammu (J&K)-180001
				(ii) Nawai Subh Complex, Zero Bridge, Srinagar (J&K)- 190001
		2. Jammu & Kashmir National Panthers Party	Bicycle	17, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi-110001
		3. Jammu and Kashmir Peoples Democratic Party	Ink Pot & Pen	2-Emporium Lane, Residency Road, Srinagar-190001
9.	Jharkhand	1. AJSU Party	Banana	H-59, Harmu Housing Colony, PS-Argora, PO-Harmu, Ranchi, Jharkhand – 834002
		2. Jharkhand Mukti	Bow & Arrow	Bariatu Road,
		Morcha		Ranchi-834008 (Jharkhand)
		3. Rashtriya Janata Dal	Hurricane Lamp	13, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi -110001
10.	Karnataka	1. Janata Dal (Secular)	A Lady Farmer	5, Safdarjung Lane, New Delhi – 110003
			carrying Paddy	

Sl. No.	Name of the State/Union	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
	Territory			
1.	2.	3.	4.	5.
			on her head	
11.	Kerala	1. Janata Dal (Secular)	A Lady Farmer carrying Paddy on her head	5, Safdarjung Lane, New Delhi – 110003
		2. Kerala Congress (M)	Two Leaves	State Committee Office, Near Fire Station, Kottayam (Kerala)-686001
		3. Indian Union Muslim League	Ladder	Quaid-e-Millath Manzil,
		League		36 Maraikayar Lebbai Street, Chennai-600001, Tamil Nadu
		4. Revolutionary Socialist Party	Spade & Stoker	37 Ripon Street, (Muzaffar Ahmed Sarani), Kolkata-
				700016 (West Bengal)
12.	Maharashtra	1. Maharashtra Navnirman Sena	Railway Engine	Krishna Kunj, M.B.Raut Road, Shivaji Park, Mumbai-400028, Maharashtra.
		2. Shiv Sena	Bow and Arrow	Shivsena Bhavan, Gadkari Chowk, Dadar, Mumbai- 400028 (Maharashtra).
13.	Manipur	1. Naga Peoples Front	Cock	Post Box No.565, Kohima-797001, Nagaland.
		2. People's Democratic Alliance	Crown	Ragailong, Imphal-795 001, Manipur.
14.	Meghalaya	United Democratic Party	Drum	Mawlai Nonglum, Shillong- 793008
				(Meghalaya).
		2. Hill State People's Democratic Party	Lion	Kench's Trace, Laban, Shillong 739004. (Meghalaya)
		3. People's Democratic Front	Candles	H.No7/63, Lachuamiere, Shilong, Meghalaya-793001
15.	Mizoram	1. Mizo National Front	Star	General Headquarters, Zarkawt, Aizawl (Mizoram)-796001.
		2. Mizoram People's Conference	Electric Bulb	General Headquarters, Treasury Square, Aizawl-796001 (Mizoram).
		3. Zoram Nationalist Party	Sun (without rays)	General Headquarters, Treasury Square, Aizawl-796001 (Mizoram).
16.	Nagaland	1. Naga Peoples Front	Cock	Post Box No.565, Kohima-797001, Nagaland.
		2. Nationalist Democratic	Globe	House No. 155(1), Ward No. 4,Chumukedima, Dimapur,

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1.	2.	3.	4.	5.
		Progressive Party		Nagaland – 797103.
17.	N.C.T. of Delhi	Aam Aadmi Party	Broom	206, Rause Avenue, DDU Marg, New Delhi – 110002
18.	Odisha	Biju Janata Dal	Conch	Naveen Nivas, Aerodrome Gate, Bhubaneswar-751009 (Odisha).
19.	Puducherry	1. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam	Two Leaves	275, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600014 (Tamil Nadu).
		2. All India N.R. Congress	Jug	65/6, East Coast Road, (Next to Badmavathi Petrol Bunk), Pakkamudaiyanpet, Puducherry- 605008
		3. Dravida Munnetra Kazhagam	Rising Sun	'Anna Arivalayam' 268-269, Anna Salai, Teynampet, Chennai-600018
		4. Pattali Makkal Katchi	Mango	(Tamil Nadu). 63, Nattu Muthu Naiken Street, Vanniya Teynampet, Chennai-600018
				(Tamil Nadu).
20.	Punjab	1. Shiromani Akali Dal	Scales	Building No.6, Sector-28 B, Madhya Marg, Chandigarh – 160028.
		2. Aam Aadmi Party	Broom	206, Rause Avenue, DDU Marg, New Delhi – 110002
21.	Rajasthan	Rashtriya Loktantrik Party	Bottle	Plot No. 26-27, Out of Khasra No. 170/151, Teja Colony,Near Sheetla Mata Temple, Manasar, District- Nagaur, Rajasthan-
	244			341001.
22.	Sikkim	Sikkim Democratic Front	Umbrella	Upper Deorali, Gangtok, East Sikkim-737101.
		2. Sikkim Krantikari Morcha	Table Lamp	Convoy Ground, P.OTadong, Gangtok, East Sikkim, Sikkim-737102
23.	Tamil Nadu	All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam	Two leaves	275,Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600014 (Tamil Nadu).
		2. Dravida Munnetra Kazhagam	Rising Sun	'Anna Arivalayam' 268-269, Anna Salai, Teynampet, Chennai-600018 (Tamil Nadu).

SI. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1.	2.	3.	4.	5.
		3. Desiya Murpokku Dravida Kazhagam	Nagara	125/7, Jawaharlal Nehru Salai, (100 Ft. Road), Koyambedu, Chennai-600 107, Tamil Nadu.
24.	Telangana	1. All India Majlis-E- Ittehadul Muslimeen	Kite	Darussalam Board, Hyderabad (Telangana)-500001.
		2. Telangana Rashtra Samithi	Car	House No. 8-2-220/110/1/3, Road No.14, Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh.
		3. Telugu Desam	Bicycle	Telugu Desam Party Office, N.T.R. Bhavan, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad-500033. (Andhra Pradesh).
		4. Yuvajana Sramika Rythu Congress Party	Ceiling Fan	H.No.8-2-269/S/98, Sagar Society, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500034, Andhra Pradesh.
25.	Tripura	Indigenous People's Front of Tripura	Dao	Old Kali Bari Road, Krishnanagar, Agartala- 799001,Tripura.
26.	Uttar Pradesh	1. Rashtriya Lok Dal	Hand Pump	406, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi-110001.
		2. Samajwadi Party	Bicycle	18, Copernicus Lane, New Delhi-110001.
27.	West Bengal	1. All India Forward Bloc	Lion	Netaji Bhavan, T-2235/2, Ashok Nagar, Faiz Road, Karol Bagh, New Delhi – 110005
		2. Revolutionary Socialist Party	Spade & Stoker	37 Ripon Street (Muzaffar Ahmed Sarani), Kolkata- 700016 (West Bengal).

TABLE-III (LIST OF FREE SYMBOLS)

1.	Air Conditioner
2.	Almirah
3.	Apple (In all States and Union Territories except in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Puducherry, Tamil Nadu, Kerala & Karnataka)
4.	Auto- Rickshaw

	(In all States and Union Territories except in the States of Andhra Pradesh and Telangana)
5.	Baby Walker
6.	Balloon
7.	Bangles
8.	Basket containing Fruits
	(In all States and Union Territories except in the State of Tamil Nadu)
9.	Bat
10.	Batsman
11.	Battery Torch
12.	Bead Necklace
13.	Belt
14.	Bench
15.	Bicycle Pump
16.	Binoculars
17.	Biscuit
18.	Black Board
19.	Boat with Man and Sail
20.	Box
21.	Bread
22.	Bread Toaster
23.	Bricks
24.	Brief Case
25.	Brush
26.	Bucket
27.	Cake
28.	Calculator
29.	Camera
30.	Can
31.	Capsicum
32.	Carpet
33.	Carrom Board
34.	Cauliflower
35.	CCTV Camera
36.	Chain
37.	Chakki
38.	Chapati Roller
39.	Chappals
40.	Chess Board
41.	Chimney

42.	Clip
43.	Coat
44.	Coconut Farm
45.	Colour Tray & Brush
46.	Computer
47.	Computer Mouse
48.	Cot
	(In all States and Union Territories except in the State of Kerala)
49.	Crane
50.	Cube
51.	Cup & Saucer
52.	Cutting Pliers
53.	Diamond
54.	Diesel Pump
55.	Dish Antenna
56.	Dolli
57.	Door Bell
58.	Door Handle
	(In all States and Union Territories except in the States of Uttar Pradesh and Uttarakhand)
59.	Drill Machine
60.	Dumbbells
61.	Ear Rings
	(In all States and Union Territories except in the States of Tamil Nadu, Puducherry, Kerala and Karnataka)
62.	Electric Pole
63.	Envelope
64.	Extension Board
65.	Flute
66.	Football
	(In all States and Union Territories except in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura)"
67.	Football Player
68.	Fountain
69.	Frock
70.	Frying Pan
71.	Funnel
72.	Ganna Kisan
73.	Gas Cylinder
74.	Gas Stove
75.	Gift Pack

76.	Ginger
77.	Glass Tumbler
78.	Gramophone
79.	Grapes
80.	Green Chilli
81.	Hand Cart
82.	Harmonium
83.	Hat
	(In all States and Union Territories except in the States of Andhra Pradesh and Telangana)
84.	Head Phone
85.	Helicopter
86.	Helmet
87.	Hockey and Ball
88.	Hour Glass
89.	Ice Cream
	(In all States and Union Territories except in the State of Tamil Nadu)
90.	Immersion Rod
91.	Iron
	(In all States and Union Territories except in the States of Andhra Pradesh & Telangana)
92.	Jackfruit
93.	Kettle
	(In all States and Union Territories except in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and West Bengal)
94.	Kitchen Sink
95.	Lady Finger
96.	Lady Purse
	(In all States and Union Territories except in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur,
	Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and West Bengal)"
97.	Laptop
98.	Latch
99.	Letter Box
100.	Lighter
101.	Ludo
102.	Lunch Box
103.	Man Blowing Turha
104.	Matchbox
105.	Mike
106.	Mixee
107.	Nail Cutter
108.	Neck Tie

109.	Noodles Bowl
110.	Pan
111.	Pants
112.	Peanuts
113.	Pears
	(Except in Tamil Nadu and Pudducherry)
114.	Peas
115.	Pen Drive
116.	Pen Nib with Seven Rays
117.	Pen Stand
118.	Pencil Box
119.	Pencil Sharpener
120.	Pendulum
121.	Pestle and Mortar
122.	Petrol Pump
123.	Phone Charger
124.	Pillow
125.	Pineapple
126.	Plastering Trowel
127.	Plate Containing Food
128.	Plate Stand
129.	Pot
130.	Pressure Cooker
131.	Punching Machine
132.	Razor
133.	Refrigerator
134.	Ring
135.	Road Roller
136.	Robot
137.	Room Cooler
138.	Room Heater
139.	Rubber Stamp
140.	Safety Pin
141.	Saw
	(In all States and Union Territories except in the State of Kerala)
142.	School Bag
143.	Scissors
144.	Sewing Machine
145.	Ship

146.	Shoe
147.	Shutter
148.	Sitar
149.	Skipping Rope
150.	Slate
151.	Soap Dish
152.	Socks
153.	Sofa
154.	Spanner
	(In all States and Union Territories except in the States of Bihar and Jharkhand)
155.	Stapler
156.	Stethoscope
157.	Stool
158.	Stumps
159.	Swing
160.	Switchboard
161.	Syringe
162.	T.V. Remote
163.	Table
164.	Tea Filter
165.	Telephone
166.	Television
167.	Tennis Racket & Ball
168.	Tent
169.	Throwing a Javelin
170.	Tiller
171.	Toffees
172.	Tongs
	(In all States and Union Territories except in the States of Bihar and Jharkhand)
173.	Tooth Brush
174.	Tooth Paste
175.	Tray
176.	Triangle
177.	Truck
	(In all States and Union Territories except in the States of Andhra Pradesh & Telangana)
178.	Trumpet
179.	Tube light
180.	Typewriter
181.	Tyres

182.	Vacuum Cleaner
183.	Violin
184.	Walking Stick
185.	Wall Hook
186.	Wallet
187.	Walnut
188.	Water Melon
189.	Water Tank
190.	Well
191.	Wheel Barrow
192.	Whistle
193.	Window
194.	Winnower
195.	Wool and Needle
196.	Nagrik
197.	Dustbin